क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3
13.12.2022	**नामान्तरण अपील वाद सं0 04/2020–21** जोखु साव प्रति सरोज देवी **आदेश** अभिलेख अन्तिम निस्तारण हेतु उपस्थापित। अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अंचल अधिकारी, नगर उंटारी के नामांतरण वाद सं0 625R27/2019–20 में पारित आदेश के विरूद्ध नामांतरण अपील वाद दायर किया गया है। अपील आवेदन पत्र के साथ लिमिटेशन एक्ट की धारा 5 के अन्तर्गत विलम्ब माफ करने हेतु आवेदन पत्र दिया गया है। अपील आवेदन पत्र पर विज्ञ अधिवक्ता को सुना। अपील आवेदन पत्र अंगीकृत करते हुए संबंधित पक्षकारों को नोटिस निर्गत किया गया तथा निम्न न्यायालय से मूल अभिलेख की मांग की गयी। अंचल अधिकारी, नगर उंटारी से अभिलेख प्राप्त हुआ है। उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुना। **अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि:–** 01 ग्राम पुरैनी थाना वो अंचल नगर उंटारी जिला गढ़वा के खाता सं0 3 पुराना 114 नया प्लॉट सं0 179 पुराना 278 नया रकबा 4 डीसमील उत्तर– मनोज साव वगैरह, दक्षिण– नीज क्रेता वो जगदेव साव, पूरब– रामाश्रय साव वगैरह, पश्चिम– नीज क्रेता, खाता सं0 3 पुराना 114 नया प्लॉट सं0 268 पुराना 427 नया रकबा 12 डीसमील वो खाता सं0 3 पुराना 114 नया प्लॉट सं0 268 पुराना 430 नया रकबा $5\frac{1}{2}$ डीसमील उत्तर– जगदेव साव, दक्षिण– जोखु साव, पूरब– राजेन्द्र साव वो अजय प्रसाद, पश्चिम– कृष्णा पाल वो गोपाल पाल, कुल रकबा $21\frac{1}{2}$ डीसमील भूमि गत सर्वे खतियान में अपीलार्थी के पूर्वज कुंजु तेली पिता सुबाष तेली के नाम से दर्ज है। कुंजु तेली के मरणोपरान्त संयुक्त रूप से उसके 6 पुत्रों को अन्य खाता के भूमि के साथ–साथ प्रश्नगत खाता सं0 3 की भूमि उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ है। अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी के केवाला बिक्रेता कुंजु तेली के वंशज है। 02 कुंजु तेली के सभी छह पुत्रों बिना बंटवारा के आजीवन खेती–बारी किये उनके मरणोपरान्त सभी छः पुत्रों के वंशजों के बीच नाप तौल कर बंटवारा नहीं हुआ। वर्तमान में अपीलार्थी के द्वारा विधिवत नाप तौल कर बंटवारा करने हेतु प्रश्नगत खाता सं0 3 के अलावे अन्य खाता सं0 106 की भूमि पर सिविल जज, गढ़वा के न्यायालय में बंटवारा वाद सं0 61/2017 दायर किया गया है, जिसमें प्रतिवादी उपस्थित हो चुके है। लगातार	

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2

प्रत्यर्थी के केवाला विक्रेता सं0 1 प्रेम सागर साव उर्फ सरहू साव पिता स्व0 चीलर साव बंटवारा वाद सं0 61/2017 में क्रमशः प्रतिवादी सं0 37 है। प्रतिवादी के रूप में उक्त विक्रेता न्यायालय में उपस्थित हो चुके है। प्रतिवादी सं0 37 के द्वारा जानबुझकर गलत ढंग से प्रत्यर्थी के पक्ष में प्रश्नगत खाता सं0 3 प्लॉट सं0 179, 268 कुल रकबा 21 $\frac{1}{2}$ डीसमील भूमि एवं उसपर अवस्थित कच्चा खपड़ा पोश मकान की बिक्री केवाला सं0 175 वर्ष 2018 के द्वारा प्रत्यर्थी से किया गया है, लेकिन क्रेता को अभी तक क्रय की गई भूमि एवं मकान के दखल–कब्जा प्राप्त नहीं हुआ है। प्रत्यर्थी के केवाला विक्रेता के हक के निर्धारण का मुकदमा सक्षम न्यायालय में लम्बित है, जब तक उसका निस्तारण नहीं हो जाता है तब तक अंचल अधिकारी के द्वारा बिक्री की गयी भूमि एवं मकान का नामांतरण स्वीकृत करना रंच मात्र भी उचित नहीं है।

03 अपीलार्थी के द्वारा विक्रय पत्र सं0 175 दिनांक 07.02.2018 के नामांतरण के विरूद्ध अंचल अधिकारी नगर उंटारी के समक्ष आपत्ति पत्र दिनांक 06.06.2018 को दायर किया गया है, जिसकी प्राप्ति की प्रति अपील आवेदन पत्र के साथ मौजूद है। अंचल अधिकारी के द्वारा जानबुझकर प्रत्यर्थी के मेल एवं प्रभाव में आकर अपीलार्थी को बिना कोई सूचना दिये गुप्त ढंग से विक्रय पत्र सं0 175 दिनांक 07.02.2018 का नामांतरण स्वीकृत कर दिया गया है।

प्रत्यर्थी की ओर से दायर कारण पृच्छा का प्रत्युत्तर :–

01 प्रत्यर्थी की ओर से दायर कारण पृच्छा में वर्णित तथ्य सरासर गलत एवं निराधार है अपीलार्थी उसका खण्डन करते है। प्रत्यर्थी के कारण पृच्छा कण्डिका 3 का कथन गलत एवं निराधार है, अपीलार्थी के चाचा सरहु साव उर्फ प्रेम सागर साव एवं अपीलार्थी जोखू साव के बीच दिनांक 03.04.2005 को कोई भी पंचायती बंटवारा नहीं हुआ है। चिलर साव के पुत्र सरहु साव को ग्राम खाला थाना धुरकी जिला गढ़वा की भूमि हिस्सा में मिला था तथा चिलर साव के दूसरे पुत्र माधव साव को ग्राम पुरैनी थाना नगर उंटारी जिला गढ़वा की भूमि हिस्सा में मिला था। ऐसी स्थिति में सरहु साव उर्फ प्रेम सागर साव के द्वारा प्रत्यर्थी के पक्ष में केवाला सं0 175 दिनांक 07.02.2018 के द्वारा प्रत्यर्थी के पक्ष में जो केवाला का निष्पादन किया गया है वह सरासर गलत एवं प्रभाव शून्य दस्तावेज है।

02 प्रत्यर्थी सरोज देवी के द्वारा उपरोक्त तथ्य की जानकारी रहने के बावजूद अपीलार्थी की भूमि हड़पने की नियत से

लगातार .....

Scanned with CamScanner

संख्या तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

सरहु साव उर्फ प्रेम सागर साव से प्रश्नगत भूमि का केवाला कराया गया है।

03 अपीलार्थी जोखू साव के द्वारा ग्राम पुरैनी थाना वो अंचल नगर उंटारी के बंटवारा के लिए बंटवारा वाद सं0 61/2017, 555/2019 सिविल जज गढ़वा के न्यायालय में दायर किया गया है जब तक बंटवारा वाद का निष्पादन नहीं हो जाता है तब तक प्रत्यर्थी के केवाला सं0 175 दिनांक 07.02.2018 के नामांतरण को खारिज करना अतिआवश्यक है। अन्यथा अनावश्यक रूप से विवाद उत्पन्न होगा तथा स्थल पर खून खराबा की स्थिति उत्पन्न हो जायेगी। प्रश्नगत भूमि पर रंच मात्र भी प्रत्यर्थी का दखल कब्जा नहीं है।

अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अपीलार्थी के नामांतरण अपील को स्वीकृत करते हुए, अंचल अधिकारी, नगर उंटारी के नामान्तरण वाद सं0 625R27/2019–20 में पारित आदेश को निरस्त करने हेतु अनुरोध किया है। अपीलार्थी के द्वारा दाखिल कागजात निम्न प्रकार है:–

01 बंटवारा वाद सं0 61/2017 की छायाप्रति ..... 12 फर्द

02 बंटवारा के संपुष्टि हेतु एकरारनामा की छायाप्रति ..... 02 फर्द

प्रत्यर्थी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि:– 01 प्रत्यर्थी के विरूद्ध जारी नोटिस अवैध व अनुचित है।

02 अपीलार्थी के द्वारा अंचल अधिकारी, नगर उंटारी के नामांतरण वाद सं0 625R27/2019–20 में पारित आदेश के विरूद्ध अपील आवेदन पत्र दायर किए जो बिलकुल गलत है जिसका प्रत्यर्थी खण्डन करते है।

03 अपीलार्थी के द्वारा जिस भूमि पर अपील दायर किया गया है वह भूमि हकिकत में अपीलार्थी की ही नहीं क्योंकि अपीलार्थी और अपीलार्थी के चाचा सरहू साव उर्फ प्रेम सागर साव के साथ दिनांक 03.04.2005 में ही एक पंचायती कराकर दोनों चाचा भतिजा अपने–अपने हक पर काविज हुए और दखल कब्जा जोत–कोड़ में आए।

04 वास्तविकता यह है कि अपीलार्थी के पिता स्व0 माधो साव व प्रत्यर्थी के विक्रेता सरहू साव उर्फ प्रेम सागर साव के नाम से नामांतरण अपील वाली भूमि के साथ अन्य भूमि का मांग चल रहा था।

05 प्रत्यर्थी के अपीलार्थी के चाचा सरहू साव उर्फ प्रेम सागर साव से दिनांक 07.02.2018 में केवाला सं0 175 से ग्राम पुरैनी थाना नगर उंटारी खाता सं0 3 पुराना 114 नया प्लॉट सं0 179 पुराना 278 नया रकबा 4 डीसमील, खाता सं0 3 पुराना 114 नया प्लॉट सं0 268 पुराना 427 नया रकबा 12 डीसमील वो खाता सं0 3 पुराना 114 नया

लगातार .....

Scanned with CamScanner

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर
1	2

प्लॉट सं0 268 पुराना 430 नया रकबा $5\frac{1}{2}$ डीसमील कुल रकबा $21\frac{1}{2}$ डीसमील भूमि क्रय की थी क्रय करने के पश्चात प्रत्यर्थी उक्त भूमि के दखल कब्जे में अभी तत्पश्चात उक्त भूमि का नामांतरण कराने हेतु अंचल अधिकारी नगर उंटारी में आवेदन दी उक्त आवेदन के आलोक में अंचल अधिकारी, नगर उंटारी ने विधिवत जॉच कराया गया तथा सही पाकर प्रत्यर्थी का नाम सरकार के सिरिस्ते में नाम दर्ज प्रत्यर्थी के विक्रेता का नाम विलोपित करते हुए लगान रसीद निर्गत किया गया जो बिलकुल सही व सत्य है।

06 अपीलार्थी के द्वारा उक्त भूमि के साथ अन्य भूमि पर प्रत्यर्थी के विक्रेता व प्रत्यर्थी के पति पर बंटवारानामा वाद सं0 61/2017 में व्यवहार न्यायालय गढ़वा में सिविल जज गढ़वा के न्यायालय में वाद लम्बित है।

07 अपीलार्थी के द्वारा प्रत्यर्थी को केवल तंग व परेशान करने के उद्देश्य से बराबर कभी व्यवहार न्यायालय, गढ़वा तो कभी श्रीमान् के न्यायालय में वाद दायर करते रहते है प्रत्यर्थी के विरूद्ध मुकदमा करना अपीलार्थी का पेशा बन गया है। अपीलार्थी के अपील आवेदन को प्रत्यर्थी खण्डन करते है।

प्रत्यर्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा समर्पित कारण पृच्छा को स्वीकार करते हुए अपीलार्थी का नामांतरण अपील आवेदन पत्र को अस्वीकृत एवं अंचल अधिकारी, नगर उंटारी के नामान्तरण वाद सं0 625R27/2019–20 में पारित आदेश को यथावत रखने हेतु अनुरोध किया है। प्रत्यर्थी के द्वारा दाखिल कागजात निम्न प्रकार है:–

01 केवाला सं0 1638 की छायाप्रति ..... 20 फर्द
02 लगान रसीद की छायाप्रति ..... 01 फर्द
03 बंटवारानामा की छायाप्रति ..... 05 फर्द
04 मांगपंजी II की छायाप्रति ..... 01 फर्द
05 बंटवारा वाद सं0 61/2017 की छायाप्रति ..... 03 फर्द
06 बंटवारानामा की छायाप्रति ..... 01 फर्द

उभय पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने एवं दाखिल लिखित जवाब, राजस्व कागजात तथा अंचल अधिकारी, नगर उंटारी से प्राप्त अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकनोंपरान्त पाया कि प्रश्नगत भूमि का मांग गत सर्वे के मांगपंजी II के पृष्ट सं0 65 भाग सं0 3 पर उत्तराधिकार बंटवारा नामांतरण वाद सं0 660/1988–89 के द्वारा माधो साव वो सरहु साव के नाम से मांग दर्ज है। दिनांक 30.04.2005 को मांगधारी माधो साव

लगातार .....

Scanned with CamScanner

संख्या तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

के पुत्र अपीलार्थी जोखु साव वो अपीलार्थी जोखु साव के चाचा/प्रत्यर्थी के बिक्रेता/मांगधारी सरहू साव उर्फ प्रेम सागर साव के बीच पंचायती बंटवारा हुआ। इस बंटवारानामा में अपीलार्थी जोखु साव एवं अपीलार्थी जोखु साव के चाचा/प्रत्यर्थी के बिक्रेता सरहू साव उर्फ प्रेम सागर साव तथा उपस्थित पंचगण का हस्ताक्षर अंकित है। इस बंटवारानामा में सरहु साव को प्रश्नगत भूमि प्राप्त हुआ है। जिसे प्रत्यर्थी के हाथों प्रश्नगत भूमि बिक्री किये है। जिसका अंचल अधिकारी, नगर उंटारी के द्वारा जॉचोंपरान्त प्रश्नगत भूमि पर क्रेता/प्रत्यर्थी का दखल कब्जा के आधार पर उक्त नामांतरण वाद को स्वीकृत कर दिया गया है। अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के बिक्रेता एवं अन्य के बीच प्रश्नगत भूमि के साथ अन्य भूमि को लेकर बंटवारा वाद संख्या 61/2017 सिविल जज सिनियर डिविजन Ist गढ़वा के न्यायालय में चल रहा है। जिसमें अभी तक कोई आदेश पारित नहीं हुआ है। किसी भी भूमि का नामांतरण का उद्देश्य सिर्फ राजस्व का संग्रहण करना होता है। नामांतरण से हक/दावा प्रमाणित नहीं होता है।

अतएव उक्त तथ्य के आलोक में अपीलार्थी के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा दाखिल नामांतरण अपील आवेदन पत्र को अस्वीकृत करते हुए अंचल अधिकारी, नगर उंटारी के द्वारा नामांतरण वाद सं0 625R27/2019–20 में पारित आदेश को यथावत रखा जाता है।

इस आशय के साथ इस वाद की कार्रवाई समाप्त किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित।

13/XII

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
श्री बंशीधर नगर।

13/XII

भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता,
श्री बंशीधर नगर।

Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2023.03.15 11:00:59 +05:30
Location: 192.168.1.41

Scanned with CamScanner